## <u>न्यायालय- सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर</u> <u>जिला-बालाघाट, (म.प्र.)</u>

आप.प्रकरण.क.—311 / 2010 संस्थित दिनांक—20.04.2010 फाईलिंग क.234503001392010

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—बैहर,	
जिला–बालाघाट (म.प्र.)	_
// <u>विरुद्</u> ध	//
सुरजीत सिंह पिता खुमान सिंह, उम्र–27 वर्ष,	
निवासी-ग्राम गुदमा, थाना बैहर,	
जिला–बालाघाट, (म.प्र.)	<u>आरोपी</u>

## / / <u>निर्णय</u> / / (<u>आज दिनांक–15 / 9 / 2015 को घोषित)</u>

- 1— आरोपी के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—304(ए) एवं मोटरयान अधिनियम की धारा—3/181, 146/196, 134/187 के तहत आरोप है कि उसने दिनांक—02.02.2010 को करीब 07:05 बजे आरक्षी केन्द्र बैहर अंतर्गत ग्राम मुक्की में लोकमार्ग पर ट्रेक्टर कमांक—सी.जी—04/जेड.यू—0164 को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मृतक राहुल की मृत्यु ऐसी कारित की, जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती तथा उक्त वाहन को बिना अनुज्ञप्ति व बिना बीमा के चलाकर उक्त दुर्घटना में क्षतिग्रस्त आहत को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं कराया।
- 2— संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि थाना बैहर के सहायक उपनिरीक्षक रिव मिश्रा द्वारा मर्ग कमांक—4/10 की जांच करने पर पाया कि दिनांक—02.02.2010 को शाम 7:05 बजे आरोपी सुरजीत सिंह द्वारा ट्रेक्टर कमांक—सी. जी—04/जेड.यू—0164 को ग्राम मुक्की में तेज गित व लापरवाही से चलाते हुए लाया जिससे राहुल को ठोकर लग गई और उसकी मृत्यु हो गई तथा आरोपी द्वारा घायल को ईलाज कराने हेतु नहीं पहुंचाया और न ही उक्त घटना की सूचना थाने पर दी

गई। उक्त घटना की रिपोर्ट मृतक राहुल के पिता झामिसंह द्वारा पुलिस थाना बैहर में की गई, जिस पर आरोपी वाहन चालक के विरूद्ध अपराध कमांक—10/2010, धारा—279, 304 ए भा.द.वि. एवं मोटरयान अधिनियम की धारा—134/187 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया। पुलिस द्वारा मृतक राहुल की मृत्यु के संबंध में मर्ग इंटीमेश्न कमांक—4/10 तैयार कर, नक्शा पंचायतनामा तैयार किया गया, मृतक के शव का शव परीक्षण करवाया गया। पुलिस के द्वारा विवेचना के दौरान घटना स्थल का मौका नक्शा तैयार किया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये, आरोपी से वाहन मय दस्तावेज के जप्त कर वाहन का मैकेनिकल परीक्षण करवाया गया। विवेचना के दौरान आरोपी के पास ड्राईविंग लायसेंस व वाहन का बीमा न होने से आरोपी के विरूद्ध धारा—3/181 एवं 146/196 मोटरयान अधिनियम का इजाफा किया गया तथा आरोपी को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3— आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—304(ए) एवं मोटरयान अधिनियम की धारा—3/181, 146/196, 134/187 के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपी ने धारा—313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को झूटा फॅसाया जाना प्रकट किया है। आरोपी ने प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं किया।

## 4- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

- 1. क्या आरोपी ने दिनांक—02.02.2010 को करीब 07:05 बजे आरक्षी केन्द्र बैहर अंतर्गत ग्राम मुक्की में लोकमार्ग पर ट्रेक्टर क्रमांक—सी. जी—04/जेड.यू—0164 को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मृतक राहुल की मृत्यु ऐसी कारित की, जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती ?
- 2. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को बिना अनुज्ञप्ति व बिना बीमा के चलाया ?
- 3. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर दुर्घटना में क्षतिग्रस्त आहत को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं कराया ?

## विचारणीय बिन्दुओं पर सकारण निष्कर्ष :-

5— झामसिंह (अ.सा.2) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को जानता है। घटना 2 फरवरी वर्ष 2010 की है। घटना दिनांक को आरोपी ट्रेक्टर चलाते हुए मुक्की बस्ती से मुक्की की ओर लेबर छोड़कर आ रहा था, तब मृतक राहुल तेकाम रोड के किनारे खड़ा था, तो आरोपी पीछे मुड़कर लेबर को देखते हुए ट्रेक्टर को चला रहा था, जिससे ट्रेक्टर मृतक राहुल को टक्कर मारते हुए बाड़ी में चला गया था, जिससे मृतक राहुल के सिर पर चोट लगी थी। फिर उसे उटाकर बैहर अस्पताल लेकर गये किन्तु तब तक वह फौत हो चुका था। पुलिस वालें ने उससे पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। पुलिस ने उसके समक्ष नक्शा पंचायतनामा प्रदर्श पी—2 बनाया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दुर्घटना आरोपी की गलती से हुई थी। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने आरोपी को टेक्टर चलाते हुए नहीं देखा था। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि आरोपी उक्त वाहन को कैसे चला रहा था, उसे उसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि वह घटनास्थल पर नहीं था। इस प्रकार साक्षी ने चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में अभियोजन मामलें का समर्थन नहीं किया है।

6— सीताराम (अ.सा.3) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को नहीं जानता। घटना फरवरी 2010 की शाम 5—6 बजे ग्राम मुक्की की है। उक्त घटना दिनांक को वह अपने दोस्त मोहन के यहां गया था और उसके आंगन में खड़ा था। उसके सामने से ट्रेक्टर थोड़े आगे तक सीधे ही गया और कुछ दूरी पर लेबर छोड़ने के पश्चात् वापस आया। ट्रेक्टर सीधा रोड से न जाकर खेत तरफ मुड़ गया, तो उसने जाकर देखा तो ट्रेक्टर में एक बच्चा दब गया था। उक्त बच्चा झामसिंह का था। ट्रेक्टर सामान्य गित से ही आ रहा था। यदि ट्रेक्टर वाला सीधे रोड से जाता और खेत तरफ नहीं मोड़ता तो दुर्घटना नहीं होती। दुर्घटना के समय ट्रेक्टर सामान्य गित से चल रहा था। आरोपी ही टेक्टर को चला रहा था। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि घटना के समय वह अपने दोस्त के आंगन में बैठा था और उसने बाद में आकर देखा कि ट्रेक्टर से बच्चा दब गया था। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि उसने ट्रेक्टर से बच्चे को दबते हुए नहीं देखा और वह घटना घटित होने के बाद पहुंचा था। इस प्रकार साक्षी ने चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में अभियोजन मामलें का समर्थन नहीं किया

है।

- 7— अंजुबाई (अ.सा.5) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि मृतक राहुल उसका लड़का था। घटना लगभग 3 वर्ष पहले की है। घटना दिनांक को जब वह साढ़े पांच बजे घर वापस आई तो पता लगा कि राहुल का ट्रेक्टर से एक्सीडेन्ट हो गया है। उस समय राहुल को उठाकर घर में ला लिये थे और ड्राईवर को पकड़कर रखे थे। न्यायालय में उपस्थित आरोपी ही ड्राईवर था। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया कि उसने घटित होते हुए नहीं देखा, इसलिए नहीं बता सकती कि घटना किसकी गलती से घटित हुई। इस प्रकार साक्षी ने चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में अभियोजन मामलें का समर्थन नहीं किया है।
- 8— जयवन्तीबाई (अ.सा.७) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी सुरजीत को पहचानती है। मृतक राहुल उसका भतीजा था। घटना लगभग 5 वर्ष पुरानी करीब 5:00 बजे की है। उस समय राहुल सड़क के किनारे खड़ा था, तभी आरोपी सुरजीत ट्रेक्टर को लापरवाही से चलाते हुए लाया और राहुल को टक्कर मार दिया था, जिससे वह मौके पर ही खत्म हो गया था। राहुल को सिर पर घातक चोट लगी थी। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि वह घटना होने के बाद घटनास्थल पर गई थी। साक्षी ने अपनी साक्ष्य में इस तथ्य की पुष्टि की है कि टेक्टर की दुर्घटना में मृतक राहुल की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी, किन्तु साक्षी ने चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में अभियोजन मामलें का समर्थन नहीं किया है।
- 9— इन्दरिसंह धुर्वे (अ.सा.1) ने अपनी साक्ष्य में बताया कि उसने घटना दिनांक को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैहर में वार्ड बॉय के पद पर पदस्थ होते हुए उक्त दिनांक को उसे थाना प्रभारी बैहर को सूचना दिए जाने बाबत् प्रदर्श पी—1 की तहरीर प्राप्त हुई थी, जो उसने थाना प्रभारी बैहर को ले जाकर दिया था, जिसके पीछे उसका नाम और पता उल्लेखित है, जिसमें राहुल टेकाम की मृत्यु के संबंध में सूचना थी।

- 10— भाउलाल पारधी (अ.सा.10) ने अपनी साक्ष्य में घटना दिनांक को थाना बैहर में अस्पताल तहरीर प्रदर्श पी—1 प्राप्त होने पर मर्ग इंटिमेशन रिपोर्ट कमांक—04/10, धारा—174 द.प्र.सं. के अंतर्गत मृतक राहुल की मृत्यु जांच किये जाने और मर्ग इंटिमेशन प्रदर्श पी—9 तैयार किये जाने की पुष्टि की है।
- 11— मृतक राहुल का शव परीक्षण करने वाले डॉ. आर.के. चतुर्वेदी (अ. सा.9) ने अपनी साक्ष्य में मृतक के शव परीक्षण में उसकी मृत्यु का कारण सिर में अस्थिभंग होने से मृत्यु होना बताते हुए शव परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी—8 प्रमाणित किया है।
- 12— जप्तशुदा वाहन का मैकेनिकल परीक्षण करने वाले बसंत रहांगडाले (अ.सा.11) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि उसने वाहन कमांक—सी.जी—04 जेड. जी 0164 का परीक्षण किया था, जो सही हालत में था। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी—10 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने पुलिस द्वारा उक्त जप्तशुदा वाहन का परीक्षण करने के संबंध में समर्थनकारी साक्ष्य पेश की है।
- 13— अनुसंधानकर्ता अधिकारी रिव मिश्रा (अ.सा.८) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक—02.02.2010 को थाना बैहर में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। मर्ग कमांक—4/10, धारा—174 जा.फो. की डायरी जांच हेतु प्राप्त हुई, जिसकी जांच पर से दिनांक—03.02.2010 को अपराध कमांक—10/2010, धारा—279, 304 ए भा.द.वि. एवं 134/187 मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत लेख किया था, जो प्रदर्श पी—4 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। मृतक राहुल का नक्शा पंचायतनामा पंचो के समक्ष प्रदर्श पी—2 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। मृतक के शव को पी.एम. हेतु शासकीय अस्पताल बैहर भेजा था। उक्त दिनांक को ही विवेचना के दौरान घटना स्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श पी—5 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही झामिसंह, अंजूबाई, जैवंतीबाई, सीताराम के कथन उनके बताए अनुसार लेख किया था। उक्त दिनांक को ही घटना स्थल से साक्षियों के समक्ष जप्तीपत्रक प्रदर्श पी—3 के अनुसार एक ट्रेक्टर कमांक—सी.जी.

04/जेड.जी. 0164 जप्त किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही सुरजीतिसेंह से उक्त ट्रेक्टर का रिजस्ट्रेशन जप्तीपत्रक प्रदर्श पी—6 अनुसार जपत किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी सुरजीतिसेंह को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी—7 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। जप्तशुदा वाहन का विधिवत् मैकेनिकल परीक्षण करवाकर, रिपोर्ट चालान के साथ संलग्न किया है। आरोपी के पास वाहन चलाने का लायसेंस न होने व वाहन का बीमा न होने तथा आहत को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध न कराने से धारा—3/181, 146/196, 134/187 मो.व्ही.एक्ट बढाई जाकर थाना प्रभारी की ओर प्रेषित किया था।

14— उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष की ओर से उसके कथन का खण्डन नहीं किया गया है। इस प्रकार साक्षी ने मामलें में की गई संपूर्ण अनुसंधान कार्यवाही को समर्थनकारी साक्ष्य के रूप में प्रमाणित किया है। उक्त साक्षी के अलावा मामलें में प्राथमिकी दर्ज किये जाने, जप्तशुदा वाहन का परीक्षण करने, मृतक राहुल का शव परीक्षण करने वाले चिकित्सक की साक्ष्य से तथा अन्य महत्वपूर्ण साक्षीगण की साक्ष्य से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि जो ट्रेक्टर आरोपी से जप्त किया गया था, उसी ट्रेक्टर से घटना के समय मृतक राहुल की दुर्घटना के कारण मृत्यु हो गई थी। अभियोजन की ओर से जिन साक्षीगण को चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में पेश किया गया था, उन्होंने अपनी साक्ष्य के दौरान प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि वे घटना के पश्चात् मौके पर पहुंचे थे तथा उन्होंने दुर्घटना होते हुए नहीं देखी, किन्तु साक्षियों के कथन से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि आरोपी ही उक्त दुर्घटना कारित वाहन ट्रेक्टर का चालन कर रहा था।

15— अनुसंधानकर्ता अधिकारी रिव मिश्रा (अ.सा.८) ने अपनी साक्ष्य में यह बताया है कि आरोपी के पास वाहन चलाने का लायसेंस नहीं था तथा उक्त वाहन का बीमा भी नहीं था, इसके अलावा आरोपी ने आहत को चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध नहीं कराई थी। यद्यपि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य से यह प्रकट होता है कि मृतक राहुल मौके पर ही खत्म हो गया था। ऐसी दशा में आहत या मृतक राहुल को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का कोई महत्व होना प्रकट नहीं होता है। बचाव पक्ष की ओर से इस तथ्य का खण्डन नहीं किया गया है कि आरोपी के पास वाहन चलाने

का लायसेंस नहीं था तथा उसके द्वारा चलाए जा रहे वाहन का बीमा नहीं था। बचाव पक्ष की ओर से उक्त तथ्य के खण्डन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य भी पेश नहीं किया गया है। इस प्रकार यह तथ्य प्रमाणित है कि घटना के समय आरोपी के द्वारा उक्त दुर्घटना कारित वाहन का चालन किया जा रहा था और आरोपी के पास वाहन का चालन करने का लायसेंस नहीं था और उक्त वाहन बीमित भी नहीं था। यद्यपि आरोपी के द्वारा वाहन का किस प्रकार चालन किया जा रहा था अथवा वाहन का चालन उतावलेपन या उपेक्षा से किया जा रहा था, इस संबंध में पूर्णतया साक्ष्य का अभाव है। अभियोजन के किसी भी साक्षी की अखण्डित साक्ष्य पेश नहीं है कि घटना के समय आरोपी की गलती से या लापरवाही से उक्त दुर्घटना कारित हुई। इस प्रकार स्पष्ट साक्ष्य के अभाव में यह प्रमाणित नहीं होता कि आरोपी के द्वारा वाहन को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाया जा रहा था।

- उपरोक्त संपूर्ण विवचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन अपना मामला युक्ति—युक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि घटना दिनांक व स्थान में आरोपी ने लोकमार्ग पर उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मृतक राहुल टेकाम की मृत्यु कारित की, जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती। उक्त घटनास्थल पर मौके पर ही मृतक राहुल की मृत्यु हो जाने से यह तथ्य भी प्रमाणित नहीं है कि आरोपी के द्वारा आहत की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई। फलस्वरूप आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—304(ए) एवं मोटरयान अधिनियम की धारा—134 / 187 के अपराध के अंतर्गत दोषमुक्त किया जाता है।
- 17— अभियोजन ने यह प्रमाणित किया है कि घटना के समय आरोप के पास दुर्घटना कारित वाहन को चलाने हेतु वैध लायसेंस नहीं था तथा उक्त वाहन बीमित भी नहीं था। अतएव आरोपी को मोटरयान अधिनियम की धारा—3/181, 146/196 के अंतर्गत दोषसिद्ध ठहराया जाता है।
- 18— आरोपी को मामले की परिस्थिति को देखते हुए अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ प्रदान किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। आरोपी की ओर से निवेदन किया गया है कि यह उसका प्रथम अपराध है तथा उसके विरुद्ध पूर्व दोषसिद्धि

नहीं है। अतएव उसे केवल अर्थदण्ड से दंडित कर छोड़ा जावे।

19— आरोपी के विरुद्ध किसी अपराध में पूर्ण दोषसिद्धि का प्रमाण नहीं है तथा प्रकरण में आरोपी लगभग 5 वर्ष से विचारण का सामना कर रहा हैं। प्रकरण की परिस्थिति एवं अपराध की प्रकृति को देखते हुये आरोपी को मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181, 146/196 के अपराध के अन्तर्गत क्रमशः 500/-,1000/- कुल 1,500/-(एक हजार पांच सौ) रूपये के अर्थदण्ड से दंण्डित किया जाता है। आरोपी को प्रत्येक अपराध के अर्थदण्ड के व्यतिक्रम की दशा में 15—15 दिन का सादा कारावास भुगताया जावे।

20— प्रकरण में आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध नहीं रहा है, उक्त के संबंध में धारा–428 द.प्र.सं. के तहत् पृथक से प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।

21— प्रकरण में जप्तशुदा ट्रेक्टर क्रमांक—सी.जी—04/जेड.यू—0164 मय दस्तावेज के किशोर जैन पिता हेमराज जैन, निवासी गुढ़ीयारी रायपुर थाना रायपुर जिला रायपुर छ.ग. को सुपुर्दनामा पर प्रदान किया गया है, उक्त सुपुर्दनामा अपील अविध पश्चात उक्त सुपुर्ददार के पक्ष में निरस्त समझा जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावें।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया। मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बेहर, जिला—बालाघाट

(सिराज अली) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला–बालाघाट